

वेबसाइट में अपलोड की जानी वाली जानकारी

विषय :- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में अटल विहार योजना पण्डरीपानी, जगदलपुर, जिला बस्तर के लिए वास्तुविदी एवं इंजीनियरिंग कार्य कराने हेतु मण्डल की वेबसाइट में दिनांक 05.01.2016 को ई.ओ.आई.-2015 अंतर्गत पंजीबद्ध किये वास्तुविद/फर्म/कम्पनी की सूची जारी की गई है। इसमें से वास्तुविदी एवं इंजीनियरिंग कार्य हेतु सूची-ए के श्रेणी-A में पंजीबद्ध वास्तुविद/फर्म/कम्पनी से ऑफर बिड आमंत्रित किये जाते हैं।

- बिड जमा करने की दिनांक 19.01.2016 समय शाम 5.00 बजे तक स्थान आयुक्त कार्यालय, मुख्यालय, शंकर नगर, रायपुर।
- तकनीकी बिड खोलने की दिनांक 20.01.2016 समय 11.30 बजे से स्थान मुख्यालय, शंकर नगर, रायपुर।
- समाचार पत्र विज्ञापन की प्रति :- संलग्न
- सर्वे प्लान सॉफ्ट कॉपी :- संलग्न
अटल विहार योजना, पण्डरीपानी, जगदलपुर (भूमि 52.6 एकड़ लगभग) योजना लागत लगभग राशि रु.120.00 करोड़।
- योजना T&CP, नगर निगम एवं केन्द्र व शासन के अन्य संबंधित विभाग के नियमों के आधार पर होने चाहिए।
- योजना वास्तु विज्ञान पर आधारित होना चाहिए एवं पर्यावरण अनुकूल ग्रीन कानसेप्ट का समावेश, वाटर हार्वेस्टिंग आदि का समावेश किया जाना चाहिए।
- योजना तैयार करने के पूर्व भूमि का निरीक्षण अवश्य किया जाये।
- इस योजना के लिए प्रोसेस फीस रुपये 10 हजार (रु. दस हजार मात्र) एवं (EMD) अमानत राशि रुपये 1.00 लाख (रु. एक लाख मात्र) का डी.डी. जो कि Commissioner, C.G.H.B. Raipur के नाम पर देय हो, संलग्न करना अनिवार्य हैं। अन्यथा बिड निरस्त मानी जायेगी।
- ऑफर विज्ञापित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे। (Postal delay will not be considered)
- यह योजना केन्द्र शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना की गाईड लाईन एवं अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के नियमों पर आधारित होना चाहिए।
- चयनित वास्तुविद/फर्म/कम्पनी को कार्य मण्डल को वर्तमान में उपलब्ध भूमि पर करने हेतु सहमति दी जावेगी एवं इसका अनुबंध अधिकतम 03 वर्ष तक के लिए ही रहेगा। यदि भूमि रकबा मण्डल को अतिरिक्त रूप से लगा हुआ प्राप्त होता है, तो इसमें कार्य करने हेतु पृथक से अनुमति आयुक्त से प्राप्त किया जाना होगा।

- फाइनेंशियल ऑफर मण्डल में जारी ई.ओ.आई.-2015 में दी गई दर जो कि अधिकतम हैं, का अवलोकन करते हुए वास्तुविद/फर्म/कम्पनी अपनी दर देवें। फाइनेंशियल ऑफर का लिफाफा बंद होना चाहिए। यदि खुला ऑफर प्राप्त होता है, तो इस ऑफर के साथ तकनीक ऑफर भी अस्वीकृत किया जावेगा।
- इन योजनाओं के लिए प्राप्त ऑफर में से परीक्षण उपरांत मण्डल की ई.ओ.आई.-2015 के बिन्दु क्रमांक 7.4 Award of work की प्रोसेस के अनुसार वास्तुविद/फर्म/कम्पनी के चयन करने की अनुशंसा तकनीकी समिति के द्वारा किया जावेगा।
- उक्त योजना के स्थल निरीक्षण हेतु कार्यपालन अभियंता जगदलपुर - श्री जी.पी. प्रजापति मो.9424209109 से सम्पर्क किया जा सकता है।



वास्तुविद

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
मुख्यालय, रायपुर